तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.5.2018	प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम उपस्थित । अप्रार्थीगण व उनके अभिभाषक अनुपस्थित । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 117/2011 उनवानी सरकार बनाम सोनू ऊर्फ जवाहर सिह अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में मुन्ना पुत्र रामचरन जाति ठाकुर निवासी कंचनपुर ने अप्रार्थी सोनू ऊर्फ जवाहर सिह की राशि 20,000/– की जमानत दी थी। अप्रार्थी सोनू ऊर्फ जवाहर सिह के नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने तथा जमानती मुन्ना द्वारा अप्रार्थी सोनू ऊर्फ जबाहर सिंह को न्यायालय में उपस्थित नहीं करने के कारण मुन्ना की जमानत जब्त की जाकर धारा 446 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि वह 20,000/–रूपये राजकोष में जमा करावे । अप्रार्थी मुन्ना बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं होने पर जमानती वारन्ट से तलव किया गया। अप्रार्थी जमानती वारन्ट की तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ तब अप्रार्थी को गिरफतारी वारंन्ट से तलव किया गया साथ ही तहसीलदार बाडी को कुर्की बारन्ट जारी कर अप्रार्थी की सम्पति कुर्क कर राशि 20,000/–रूपये न्यायालय में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार बाडी ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि किसी भी व्यक्ति द्वारा नीलामी में बोली नहीं लगाई गई है । इस पर न्यायालय द्वारा पुनः नीलामी की कार्यवाही हेतु लिखा गया । तहसीलदार ने पुनः रिपोर्ट पेश की कि कोई भी व्यक्ति बोली लगाने को तैयार नही हुआ । तहसीलदार बाडी से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि अप्रार्थी की दिनांक 20.9.2016 को जयपुर के अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है । इस पर तहसीलदार बाडी से मृतक के वारिसान की सूचना चाही गई । वारिसान की सूचना प्राप्त होने पर वारिशान को नोटिस जारी कर जमानत राशि 20,000/–रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया । मृतक मुन्ना के वारिसान द्वारा नोटिस का जबाव पेश किया जिसके तथ्य है कि अप्रार्थीगण के पति व पिता मुन्ना ने प्रकरण संख्या 117/2011 सरकार बनाम सौनू ऊर्फ जवाहर सिहं में मुलजिम सोनू की 20,000/–रूपये की जमानत दी हो तो अप्रार्थीगण उत्तरदाता की जानकारी में नहीं हैं। अप्रार्थीगण के पति व पिता मुन्ना की मृत्यु हो चुकी है । अप्रार्थीगण मृतक मुन्ना के वारिसान है कानूनन अप्रार्थीगण के विरूद्ध द0 प्र0 सं0 1973 की धारा 446 के तहत कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है यानि कानून के मुताविक जमानती के विरूद्ध ही धारा 446 सीआरपीसी की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है ना कि उसके वारिसान के विरूद्ध चूँकि जमानती मुन्ना की मृत्यु हो चुकी है और यह राशि मुलजिम सोनू से कानूनन बसूली योग्य है। अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है अप्रार्थीगण को जो नोटिस दिया गया है वह कानूनन गलत दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसके पश्चात् मृतक मुन्ना के वारिसान न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित नही हुए ।	

जिला कलक्टर
धौलपुर

ए.पी.पी. प्रथम की बहस सुनी गई। ए पी पी प्रथम ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जमानती की मृत्यु हो जाने पर जमानत राशि उनके वारिसान से वसूल की जावेगी। यदि वारिसान जमानत राशि अदा नहीं करते हैं तो जमानती की चल अचल सम्पत्ति से वसूल किये जाने का प्रावधान है।

ए पी पी प्रथम को सुनने के पश्चात् मृतक जमानती के वारिसानों को वसूली वारन्ट इस आशय का जारी किया गया कि वह जमानत राशि जमा करावे अन्यथा मृतक के चल अचल सम्पत्ति को राजसात (कब्जेराज) लिया जाकर राशि वसूल की जावेगी। वारिसान द्वारा आ दिनांक तक जमानत राशि 20,000/– रूपये जमा नहीं कराई गई है ।

हमने ए पी पी प्रथम की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया। मृतक मुन्ना के वारिसान को जमानत राशि जमा कराने हेतु नोटिस एवं वसूली वांरट जारी किये गये किन्तु उनके द्वारा राशि जमा कराने से मना कर दिया जबकि दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 446 (9) में यह प्रावधान है कि " **जमानती की मृत्यु का प्रभाव ––यदि जमानती की मृत्यु बन्धपत्र जब्त होने के पश्चात् हुई हो तो उसके उत्तराधिकारी मृतक द्वारा छोडी गई सम्पत्ति से शास्ति जमा कराने के दायित्वाधीन होंगे । उपधारा (4) के अनुसार जहॉ बन्ध पत्र के लिए कोई जमानती बन्ध पत्र की जब्ती से पूर्व मर जाता है वहॉ उसकी सम्पदा बन्ध पत्र के बारे में सभी दायित्वों से मुक्त हो जायेगी ।**

हस्तगत प्रकरण में जमानती की मृत्यु बन्धपत्र जब्त होने के पश्चात् हुई है अतः उसके वारिसान मृतक द्वारा छोडी गई सम्पत्ति से शास्ति जमा कराने के लिए बाध्य है। किन्तु वारिसान द्वारा जमानत राशि जमा कराने से इन्कार कर दिया है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते हैं कि मृतक मुन्ना द्वारा छोडी गई अचल सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 1862 रकवा 19 विस्वा वाके ग्राम कंचनपुर को कब्जेराज ले लिया जावे।

अतः मृतक मुन्ना पुत्र श्री रामचरन जाति ठाकुर निवासी ग्राम कंचनपुर उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी की अचल सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 1862 रकवा 19 विस्वा वाके ग्राम कंचनपुर को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं । तहसीलदार बाडी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी को कब्जेराज लेकर राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज कर न्यायालय को अवगत करावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

21.05.2018

(नन्नूमल पहाडिया)

जिला कलक्टर, धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर